



स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर

पर

'उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद'

की

लोहसामऊ मार्ग भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना

सुलतानपुर में स्व-वित्तपोषित योजनान्तर्गत सेमीफिनिशड मध्यम आय वर्ग तथा फिनिशड अल्प आय वर्ग के

भवनों को प्राप्त करने का



पंजीकरण

दिनांक 15.08.2022 से
15.10.2022 तक

सुनहरा अवसर

ऑनलाइन
पंजीकरण आवेदन शुल्क
₹ 1000/-
GST सहित

मध्यम आय वर्ग (80/122)

रैरा पंजीकरण संख्या-UPRERAPRJ963567

-: भवनों का विवरण :-

अल्प आय वर्ग (29/60)

रैरा पंजीकरण संख्या-UPRERAPRJ568039

रेरा वेबसाइट : www.up-rera.in

रेरा वेबसाइट : www.up-rera.in

क्र. सं.	योजना का नाम	सम्पत्ति का प्रकार एवं श्रेणी	सम्पत्ति संख्या	प्लॉय एरिया (वर्ग मी०)	कारपेट एरिया (वर्ग मी०)	मानक भूखण्ड का क्षेत्रफल (वर्गमी०)	अनुमानित मूल्य (₹ लाख में)	पंजीकरण घनराशि (₹ लाख में)		पात्रता चयन के पश्चात पंजीकरण घनराशि समायोजन उपरान्त एक माह के अन्दर भुगतान योग्य घनराशि (₹ लाख में)		अवशेष घनराशि 5 त्रैमासिक किस्तों में (₹ लाख में)	
								सामान्य श्रेणी	आरक्षित श्रेणी	सामान्य श्रेणी	आरक्षित श्रेणी	सामान्य श्रेणी	आरक्षित श्रेणी
1	लोहरामऊ मार्ग भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, सुलतानपुर	स्व-वित्तपोषित मध्यम आय वर्ग प्रकार के सेमीफिनिशड भवन (80/122) प्रकार	27	80.00	59.80	121.89	36.10	3.61	1.81	5.44	7.24	5.41	5.41
2	लोहरामऊ मार्ग भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, सुलतानपुर	स्व-वित्तपोषित अल्प आय वर्ग प्रकार के फिनिशड भवन (29/60) प्रकार	21	29.00	24.65	60.59	19.10	1.91	0.95	2.89	3.85	2.86	2.86

ऑनलाइन आवेदन हेतु सुविधा प्रदाता बैंक : **एच.डी.एफ.सी.बैंक**, 1170, सैराबाद, इलाहाबाद रोड, सुलतानपुर, सम्बंधित अधिकारी : श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह, दूरभाष : 9839584003, 7007479873

आवेदन मात्र ऑनलाइन माध्यम से किए जाएंगे

-: नियम एवं शर्तें :-

- प्रथम चरण में एकमुश्त भुगतान करने पर प्राप्त आवेदनों के मध्य आवंटन सार्वजनिक लॉटरी ड्रॉ द्वारा किया जाएगा। उक्त के उपरान्त यदि सम्पत्ति शेष रह जाती है तो किस्तों पर प्राप्त आवेदनों के मध्य सार्वजनिक लॉटरी ड्रॉ से कार्यवाही की जाएगी। ● मध्यम आय वर्ग एवं अल्प आय वर्ग के भवनों में आय सीमा प्रतिबन्धित नहीं है। ● भवनों का कब्जा 24 माह में हस्तगत किया जाना प्रस्तावित है। ● आवंटन के पश्चात आवंटन पत्र/मांग पत्र निर्गमन तिथि से 60 दिन में भवन के कुल मूल्य का पूर्ण भुगतान करने पर 05 प्रतिशत की विशेष छूट अनुमन्य होगी। ● आवंटन पत्र निर्गमन तिथि से प्रथम किस्त की घनराशि 30 दिन के अन्दर बैंक कार्यदिवस में सीधे निर्धारित बैंक शाखा में ऑनलाइन जमा की जा सकेगी। ● किसी भी भुगतान में विलम्ब की दशा में अवशेष घनराशि पर 09 प्रतिशत सामान्य ब्याज दर के साथ 2 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज की दर से देय होगी। परिषद द्वारा बकाये की तीन पंजीकृत नोटिस निर्गमन के उपरान्त बकाया घनराशि का भुगतान न करने पर पंजीकरण स्वतः निरस्त समझा जाएगा, जिसके लिए आवंटनी स्वयं उत्तरदायी होगा। ● पंजीकरण हेतु पात्रता एवं शर्तों से सम्बंधित विस्तृत जानकारी हेतु परिषद की वेबसाइट <http://www.upavp.in> पर उपलब्ध ई-पंजीकरण पुस्तिका देखें। ● परिषद विनियमों के प्रावधानों में किसी धारा-उपधारा के रहते हुए भी किन्हीं विशेष परिस्थितियों में आवास आयुक्त को अन्यथा निर्णय लेने का पूर्ण अधिकार रहेगा। किसी विषय अथवा वाद-विवाद पर आवास आयुक्त का निर्णय अन्तिम एवं बाध्यकारी होगा। ● समस्त भुगतान परिषद द्वारा अधिकृत बैंक के RTGS/NEFT/Online के माध्यम से किया जा सकता है।

-: अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें :-

डॉ प्रमोद कुमार सिंह, अधीक्षण अभियन्ता, अयोध्या वृत्त, मो.नं.: 8795810173, **डॉ प्रदीप कुमार**, अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड अयोध्या 02, मो.नं.: 8795810514, **श्री आरूसी० यादव**, अधीक्षण अभियन्ता, गोरखपुर जोन, मो.नं.: 8795810092, **श्री मुकेश पाल**, सम्पत्ति प्रबन्धक, अयोध्या, मो.नं.: 8795810970



उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद

104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ

Website : <http://www.upavp.in> E-mail : info@upavp.com

शिकायतों व समस्याओं के निस्तारण के लिए

1800-180-5333 (टोल-फ्री) 0522-2236803

पर कॉल करें या परिषद की वेबसाइट पर लॉग इन करें